न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी प्रार्थना पत्र आई0डी0सं03823 एवं 3824/2012/टीए/जोधपुर

1–भीकमचन्द पुत्र निमचन्द
2–इन्द्रादेवी बेवा ओमप्रकाश
3–रमेश पुत्र ओमप्रकाश
4–मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
5–श्रीमती मन्जू पुत्री ओमप्रकाश
6–पारसमल पुत्र पूनमचन्द
7–जमनादेवी बेवा पूनमचन्द
8–उगमचन्द पुत्र चम्पालाल
9–हीरालाल पुत्र चम्पालाल
10–बालकिशन पुत्र चम्पालाल
11–अन्नराज पुत्र चम्पालाल
12–राजेन्द्र पुत्र चम्पालाल
13–श्रीमती बिदामी देवी पत्नि मदनलाल
14–जगदीश पुत्र मदनलाल
15–मांगीलाल पुत्र मदनलाल
16–गौतमचन्द पुत्र किरतुरमल
सभी जाति महाजन निवासी गांव पाल तहसील जोधपुर

---प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमती भीमा पत्नि गोपाराम
2–किशनाराम पुत्र गोपाराम
3–सुमेराराम पुत्र गोपाराम
सभी जाति भील निवासी गांव पाल तहसील जोधपुर
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

-- अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री हरिशंकर भारद्वाज, सदस्य

उपस्थितः
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ एवं श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोकनाथ, अभिभाषक अप्रार्थी
श्री आर0के0गुप्ता, राजकीय अभिभाषक

दिनांक 07 जून, 2012

निर्णय

हस्तगत नजरसानी आवेदन पत्र राजस्व मण्डल की एकल पीठ के द्वारा संदर्भ (रिफरेन्स) प्रकरण सं02408/11 एवं 2409/11 में पारित निर्णय दिनांक 8–5–12 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये

हैं। दोनों ही प्रकरणों के पक्षकार, विषयवस्तु एवं अनुतोष समान होने के कारण इन पर एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति दोनों ही प्रकरणों की पत्रावलियों में लगाई जाये।

2— संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के द्वारा ग्राम पाल तहसील जोधपुर के खसरा नं0283 रकबा 33 बीधा 9 बिस्वा आराजी के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद विरूद्ध अप्रार्थिया के ससुर कुम्भाराम पुत्र भभूताराम जाति भील के विरूद्ध प्रस्तुत करने पर सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के द्वारा प्रकरण सं067/72 में दिनांक 18—10—72 को वादी के पक्ष में निर्णय करते हुए प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे एवं उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया। इस दिन डिक्री भी जारी कर दी गई। उक्त डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार जोधपुर के द्वारा दिनांक 5—8—74 को नामान्तरकरण संख्या 246 तस्दीक कर दिया गया। इस निर्णय डिक्री एवं नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष रेफरेन्स हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन करने पर दोनों ही प्रकरणों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रथम) जोधपुर के द्वारा राजस्व मण्डल को रेफरेन्स कर सहायक कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने एवं नामान्तरकरण सं0246 दिनांक 5—8—74 को निरस्त करने की अभिशंषा की गई। राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 8—5—12 के द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर लिया। आवेदक ने इस निर्णय के विरूद्ध हस्तगत पुनरावलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं।

3— उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— अभिभाषक आवेदक ने पुनरावलोकन आवेदन के ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि मण्डल की एकल पीठ का आक्षेपित निर्णय कानून के सुस्थापित सिद्धान्त एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत होने के कारण पुनरावलोकन के योग्य एवं अपास्तनीय है।

5— उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी सं01 के पिता पूनमचंद महाजन ने कुम्भाराम भील से दिनांक 30—12—59 को कय की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में दिनांक 4—9—56 को संशोधन करके यह प्रावधानित किया गया कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का खातेदार किसी गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपने स्वत्वाधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा हस्तांतरण हुआ

तो वह शून्यकरणीय होगा। धारा 42 में दिनांक 1–5–64 को पुनः संशोधन करके यह प्रावधानित किया गया कि ऐसे हस्तांतरण शून्य होंगे। उनका कथन है कि 1–5–64 के पूर्व किये गये ऐसे हस्तांतरण शून्यकरणीय थे जिन्हें सक्षम न्यायालय के द्वारा अपास्त करवाया जा सकता था। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के खातेदार कुम्भाराम भील ने पूनमचंद महाजन जो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य था को वादग्रस्त आराजी दिनांक 30–12–59 को हस्तांतरित की है इसलिए ऐसा हस्तांतरण शून्य नहीं होकर शून्यकरणीय था। अतः क्रेता पूनमचंद के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0246 पूर्णतः विधिवत था। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–72 एवं दिनांक 5–8–74 को स्वीकृत नामान्तरकरण सं0246 अपास्त नहीं किये जा सकते थे। राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने इस प्रकार रेफरेन्स को स्वीकार कर सहायक कलेक्टर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–10–72 तथा नामान्तरकरण सं0246 को निरस्त कर अभिलेख पर प्रकट त्रुटि की है।

6– उनका आगे कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में किया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में इससे पूर्व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में कृषि भूमि संबधित किये हस्तांतरण वैध थे। अतः सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संदर्भ के द्वारा अपास्तनीय नहीं हो सकते थे। फलतः मण्डल की एकल पीठ के द्वारा संदर्भ स्वीकृत करना अभिलेख पर प्रकट त्रुटि है।

7– उनका यह भी कथन है कि पूनमचंद ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 18–10–72 को डिक्री कर प्रतिवादी/अनावेदक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–72 को अपास्त करने से कोई उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने फिर भी उक्त निर्णय, डिक्री एवं नामान्तरकरण को अपास्त कर दिया है जो अभिलेख पर प्रकट त्रुटि है।

8– उनका आगे कथन है कि अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर ने दिनांक 14–7–10 को संदर्भ काग्रवाही समाप्त कर दी थी। जिसके विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर ने दिनांक 24–2–11

को स्वीकार कर लिया। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही मात्र एक अभिमत है, निर्णय नहीं। अतः अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर के समक्ष वह धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुनरावलोकनीय नहीं था। अतिरिक्त कलेक्टर ने धारा 82 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किये बिना प्रकरण प्रेषित कर दिया जो विधिवत रेफरेन्स नहीं था। इसलिए राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स को स्वीकार करने में अभिलेख पर प्रकट त्रुटि की है।

9— उनका कथन है कि कलेक्टर के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करना 'निर्णीत प्रकरण' नहीं है कलेक्टर मात्र अभिमत प्रकट करता है जिसका पुनरावलोकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर के द्वारा संदर्भित कार्यवाही दिनांक 14—7—10 को बन्द कर दी थी जिसे अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम या धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुनरावलोकित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार राजस्व मण्डल के समक्ष कोई संदर्भ नहीं था। फलतः राजस्व मण्डल ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18—10—72 एवं नामान्तरकरण सं0246 को अपास्त करने में अभिलेख पर प्रकट त्रुटि की हैं

10— उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी ने राजस्व मण्डल के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत दो अपील प्रस्तुत की थी जिनमें माननीय एकल पीठ ने यह माना है कि संदर्भ कार्यवाही में कलेक्टर केवल अभिमत प्रकट करता है। अतः उसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। वही सिद्धान्त संदर्भ कार्यवाही में भी लागू होगा। जब अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर ने दिनांक 14—7—10 को संदर्भ कार्यवाही समाप्त कर दी थी उसे दिनांक 24—2—11 को पुनरावलोकित कर राजस्व मण्डल को नहीं प्रेषित किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने निर्णय डिक्री दिनांक 18—10—72 एवं नामान्तरकरण सं0246 को अपास्त करने में अभिलेख पर प्रकट त्रुटि की है।

11— अभिभाषक प्रार्थी ने कथित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संदर्भ आवेदन अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर द्वारा अस्वीकृत किया गया था वह उचित था क्योंकि

वह अशासकीय व्यक्ति (private person) के द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं विलंबित था। इसके उपरांत भी राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने संदर्भ को स्वीकार किया है जो अभिलेख पर प्रकट त्रुटि है।

12— उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण सं0246 उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 9—10—72 के आधार पर स्वीकृत किया गया था। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश दिनांक 9—10—72 को चुनौती नहीं दी जाती है संदर्भ को स्वीकार करने से कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संदर्भ स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18—10—72 एवं नामान्तरकरण सं0246 को अपास्त करके राजस्व मण्डल ने अभिलेख पर प्रकट त्रुटि की है।

13— उन्होंने अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टांत इस बाबत प्रस्तुत किये कि जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 82 के अन्तर्गत अभिमत प्रकट किया जाता है न कि निर्णय।

1978 आरआरडी 459 B (para 5)

1984 आरआरडी 659 (para 8)

1990 आरआरडी 253

1993 आरआरडी 666

1994 आरआरडी 13

1995 आरआरडी 564

उन्होंने यह प्रमाणित करने के लिये कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है अतः 1—5—64 से पूर्व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किया गया हस्तांतरण शून्य नहीं है। इसके पक्ष में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

1964 आरआरडी 342

1976 आरआरडी 086

1978 आरआरडी 479

1985 आरआरडी 098

उन्होंने प्राइवेट पक्षकारों के मध्य निष्पादित प्रकरणों में कलेक्टर के द्वारा रेफरेन्स नहीं किये जाने के बारे में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

1987 आरआरडी 428

अन्त में उन्होंने एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–5–12 को पुनरावलोकित एवं अपास्त करने का निवेदन किया।

14– अनावेदक के अभिभाषक ने अभिभाषक आवेदक के तर्को को खण्डन करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय पूर्णत विधिसम्मत एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुरूप है। निर्णय में अभिलेख पर प्रकट कोई त्रुटि नहीं है अतः पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जावे।

15– उनका कथन है कि पूनमचंद महाजन ने सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद एक काश्तकार ही पेश कर सकता है। वादी पूनमचंद उक्त दिन अभिलिखित काश्तकार नहीं था। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पोषणीय था इसके बावजूद सहायक कलेक्टर जोधपुर ने प्रकरण सं067/72 में अवैध रूप से वादी के हक में वाद दिनांक 18–10–72 को निर्णीत कर प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल नहीं करने के लिए पाबन्द कर दिया। विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय अवैध होने के कारण अपास्तनीय है जिसे राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने कानूनन अपास्त किया है।

16– उनका यह भी कथन है कि सहायक कलेक्टर जोधपुर के द्वारा जारी डिक्री दिनांक 18–10–72 न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–72 में प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे एवं उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए पाबंद किया है जबकि डिक्री दिनांक 18–10–72 में यह भी अंकित कर दिया गया है कि प्रतिवादी वादीगण को खातेदार मानता है। इस प्रकार डिक्री निर्णय के अनुरूप नहीं होने के कारण अपास्तनीय है।

17– अभिभाषक अनावेदक का कथन है कि तहसीलदार जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मु0नं067/72 में पारित आदेश दिनांक 18–10–72 (त्रुटिवश 9–10–72) की अनुपालना में नामान्तरकरण सं0246 दिनांक 5–8–74 को स्वीकृत किया है। उपखण्ड अधिकारी का उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत पारित निर्णय है जिसमें मात्र प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण खुलने का कोई

प्रावधान नहीं है। स्पष्ट है कि तहसीलदार जोधपुर ने वह डिक्री जो निर्णय के विपरीत बनाई है उसके अनुसरण में नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जब डिक्री दिनांक 18–10–72 ही वैध नहीं है तो उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0246 वैध हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण सं0246 अपास्तनीय है।

18– अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन है कि वादी पूनमचंद ने विक्रय के आधार पर आराजी पर अपना कब्जा बताया है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक आवेदक का यह कथन कि प्रतिवादी कुम्भाराम भील ने 30–12–59 को वादग्रस्त आराजी पूनमचंद को विक्रय की है जो धारा 42(b) के प्रभावशील होने की दिनांक 1–5–64 से पूर्व की होने के कारण शून्य नहीं होकर शून्यकरणीय है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर जोधपुर के द्वारा डिक्री दिनांक 18–10–72 को पारित है वह सही है, उचित नहीं है। उनका कथन है कि जब सहायक कलेक्टर के समक्ष विक्रय पत्र का तथ्य विचारणीय था ही नहीं तब उसके आधार पर डिक्री पारित करने या उसके वैध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

19– अभिभाषक अनावेदक का कथन है कि जिला कलेक्टर अशासकीय पक्षकारों (private persons) के मध्य विवादों के बारे में भी संदर्भ राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकता है यदि वे लोकनीति के विरूद्ध हो अथवा अवैध हो। चूंकि सहायक कलेक्टर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत, वादी के खातेदार काश्तकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है अतः न्यायालय का निर्णय अवैध है। न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नियम विरूद्ध तरीके से लोकनीति के विरूद्ध खातेदारी प्रदान की है। ऐसे निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु जिला कलेक्टर संदर्भ भेजने में सक्षम है जैसा कि 1983 आरआरडी 159 HC एवं 1988 आरआरडी 67 पर अवधारित किया है।

20– उन्होंने रेफरेन्स के विलंबित प्रस्तुतीकरण बाबत अभिभाषक आवेदक की आपत्ति पर बताया कि रेफरेन्स के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। ऐसे आदेश जो अवैध एवं लोकनीति के विरूद्ध हो उनके अपास्त करने हेतु रेफरेन्स को मियाद के तकनीकी बिन्दु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

21– अभिभाषक अनावेदक ने यह भी कथित किया कि अभिभाषक अप्रार्थी का यह तर्क उचित नहीं है कि अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 24–2–11 के द्वारा नजरसानी स्वीकार की है उसने रेफरेन्स के लिए अलग से

अभिमत प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विधिवत संदर्भ प्रेषित नहीं किया है, सही नहीं है। उनका कथन है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–72 एवं नामान्तरकरण सं0246 के अपास्त करने की अभिशंषा वस्तुतः संदर्भ ही है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित संदर्भ को राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने स्वीकार करने में अभिलेख पर प्रकट कोई त्रुटि नहीं की है।

22– उनका यह भी कथन है कि न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के पुनरावलोकन करने का बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है। न्यायालय पुनरावलोकन आवेदन को अपील की तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियेः

1995 आरआरडी 374

ए0आई0आर0 1995 एस0सी0 455

2002 आरआरडी 32

2005 आर0आर0टी0(1) 545 एस0सी0

अंत में उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया।

23– हमनें उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–5–12 का अवलोकन किया। अभिभाषक आवेदक ने राजस्व मण्डल की एकल पीठ के द्वारा आलोच्य निर्णय में अभिलेख पर प्रकट कतिपय त्रुटियों के विद्यमान होने के कारण निर्णय दिनांक 8–5–12 को पुनरावलोकित एवं अपास्त करने का निवेदन किया है। उनका कथन है कि कुम्भाराम ने दिनांक 30–12–59 को वादग्रस्त आराजी पूनमचंद को बेची थी। उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(b) के 1–5–64 से प्रभावशील होने से पूर्व का होने के कारण तहसीलदार जोधपुर के द्वारा नामान्तरकरण सं0246 विधिसम्मत है। मण्डल की एकल पीठ ने अपने आक्षेपित निर्णय से सहायक कलेक्टर जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–72 एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0246 को अपास्त कर कानूनी त्रुटि की है। प्रार्थी का उक्त तर्क इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि नामान्तरकरण सं0246 विक्रय पत्र के आधार पर नहीं भरा गया है। वस्तुतः नामान्तरकरण सहायक कलेक्टर के द्वारा पारित डिक्री दिनांक 18–10–72 के अनुसरण में भरा गया है। उक्त डिक्री निर्णय के अनुरूप नहीं होने एवं निर्णय

विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये गये हैं। ऐसी स्थिति में मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

24— उनका यह कथन कि निर्णय व डिक्री धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई थी एवं उससे कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये थे अतः उन्हें अपास्त करना उचित नहीं है, सही नहीं है। यह सच है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण सं0246 जो भरा ही मु0सं067/72 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में दिये आदेश दिनांक 18—10—72 (त्रुटिवश 9—10—72) के अनुसरण में है स्वतः ही अवैध हो जाता है। ऐसी स्थिति में मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

25— उनका यह कथन कि अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 24—2—11 के द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र का निर्णय किया गया है एवं मण्डल को रेफरेन्स किया ही नहीं है, उचित नहीं है। अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर के द्वारा प्रेषित प्रकरण में अंकित है कि "न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18—10—72 व नामान्तरकरण दिनांक 5—8—74 अविधिक, अनुचित एवं अनियमित है तथा राज्य सरकार की घोषित लोकनीति के विरूद्ध है अतः इन्हें निरस्त किया जाना चाहिये। उपरोक्त दोनों रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किये जाते हैं।" इसके अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अतिरिक्त कलेक्टर जोधपुर ने उनके अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18—10—72 एवं तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0246 को अविधिक, अनुचित एवं अनियमित मानकर ही उन्हें निरस्त करने का मत प्रकट करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। उनकी यह कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत ही है जिसे स्वीकार करने में मण्डल की एकल पीठ ने कोई त्रुटि नहीं की है।

26— अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राइवेट पक्षकारों के मध्य विवाद था अतः ऐसे विवाद के निष्पादन के विरूद्ध रेफरेन्स पोषणीय नहीं है उचित नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1983 आरआरडी 159 पर न्यायालय की यह स्पष्ट अवधारणा है कि "No bar in making a reference

by Collector under section 232 of Rajasthan Tenancy Act to set aside a decree obtained in a suit between private parties, if it is illegal, improper."

27— प्रार्थी का यह कथन कि सहायक कलेक्टर जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18—10—72 एवं तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 5—8—74 के विरूद्ध रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। प्रथम तो रेफरेन्स के लिए कोई कालपरिसीमा निर्धारित नहीं है जैसा कि 2000 आर0बी0जे0 7 पर माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है।

"Reference made after 27 years for cancellation of compromised decree passed in favour of non-scheduled person regarding transfer of land by scheduled caste is maintainable because delay is immaterial when decree ex-facie is bad and illegal."

1978 आरआरडी 369 एवं 1977 आरआरडी 95 (डी0बी0) पर भी माननीय न्यायालय ने मियाद को रेफरेन्स के लिए बाधक नहीं माना है। दूसरे अवैध डिक्री, निर्णय या आदेश को महज तकनीकी बिन्दु पर रेफरेन्स के द्वारा खारिज नहीं करना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत उस व्यक्ति के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो खातेदार कृषक नहीं है। दूसरे प्रतिवादी जिसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। प्रकरण में इकबालिया जवाब के आधार पर डिक्री पारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 1983 आरआरडी 159 HC पर दी गई इस अवधारणा के अनुसार ऐसे इकबालिया जवाब के आधार पर पारित डिक्री को भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित माना है।

"word transfer used in proviso to section 42 should be treated as comprehensive and even if agriculrual land in khatedari of S.C. or S.T. by compromise decree, declared of non-S.C. or non-S.T., then also it would come within mischief of prohibited transfer u/s 42. Even contested decree resulting in transfer would be covered ."

28— प्रार्थी का कथन है कि नामान्तरकरण सं0246 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 9—10—72 के अनुसरण में भरा गया है जब तक उसे अपास्त नहीं किया जाता नामान्तरकरण सं0246 को अपास्त करना व्यर्थ है। प्रार्थी का उक्त कथन अनुचित है। नामान्तरकरण सं0246 मु0नं067/72 में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में खोला गया है। उक्त प्रकरण में कोई दिनांक

9--10--72 का आदेश है ही नहीं। प्रार्थी ने ऐसा आदेश प्रस्तुत भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जब कोई दिनांक 9--10--72 का आदेश विद्यमान ही नहीं है तो प्रथम तो उसके अनुसरण में नामान्तरकरण खोलना अवैध है दूसरे अस्तित्वहीन आदेश के निरस्तीकरण की मांग प्रार्थी के द्वारा करना तर्कहीन एवं हास्यास्पद है।

29— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमें इस न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय में अभिलेख पर प्रकट कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती। अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन भी उपयुक्त है कि न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय को पुनरावलोकित करने का क्षेत्राधिकार अत्यधिक सीमित है। पुनरावलोकन न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए0आई0आर0 1995 एस0सी0455 पर अवधारित किया है। 1973 आरआरडी 273 पर भी इसी मत की पुष्टि की गई है। 1992 आरआरडी 388 पर न्यायालय ने पुनरावलोकन की अपेक्षा तभी की है जब Error is so glaring that the court would not like to remain it on the record. न्यायालय ने 1995 आरआरडी 374 पर तो यहाँ तक अवधारित किया है कि "An erroneous view of law on a debatable point or a wrong exposition of law or a wrong application of law or failure to apply the appropriate law cannot be considered to be a mistabke or an error apparent on the face of the record."

30— उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो एवं तथ्यों के विवेचन से हम मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 8--5--12 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर भारद्वाज)
सदस्य